FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... सहायक कलक्टर .... मुकाम .... (SDO) बायतु

.... हुकमाराम वगैरा .... बनाम .... गंगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा .... रा० आवेदन 111, 128 RLR नं. .... 323/2021 .... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/10/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री .... कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा .... 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक .... 11/11/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
11/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होना नामिल [illegible] [illegible] पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर [illegible] दिनांक 06/01/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
06/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जारी नहीं किये गये थे जो जारी होकर पत्रावली [illegible] दिनांक 10/02/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 09/05/2022 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु (बाड़मेर)
09/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 4 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 3:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रार्थी के अधिवक्ता की एक-पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लेवा-लेट आये हुए हैं। खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व कोट आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य झगड़ा तनाव बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइश करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइश करनी आवेदन स्वीकार किया जाकर [illegible]

तारीख व हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेचमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर नेचमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
09/06/2022	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब कर संशोधित आदेश करने बाबत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त पत्रावली में नेचमबंदी आदेश करते समय टंकणीय भूल से राजस्व ग्राम राजबेरी मलवा के स्थान पर मालडेला लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का खेत राजस्व ग्राम-राजबेरी मलवा में स्थित है। इसलिए राजस्व ग्राम-मालडेला के स्थान पर राजबेरी मलवा लिखते हुए संशोधित आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर राजस्व ग्राम मालडेला के स्थान पर राजबेरी मलवा लिखा जाकर संशोधित आदेश किया जाकर पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO)	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 649 दिनांक : 9/5/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हुकमाराम पुत्र उमाराम, जाति प्रजापत, निवासी राजबेरी, मलवा पटवार मण्डल खारापार, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. गंगाराम पुत्र सुजाराम वगैरा 08, जाति जाट, निवासी राजबेरी, मलवा पटवार मण्डल खारापार, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 323 / 2021

संशोधित आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – मालदेता, पटवार मण्डल – गिड़ा, तहसील – गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 165 / 55, 167 / 55 रकबा क्रमशः 4.4111, 4.7834 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 650 – 54. दिनांक :

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हुकमाराम पुत्र उमाराम,
4. विप्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र सुजाराम वगैरा 08,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिडा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु